निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या 11 / 2024
दायरा दिनांकः–31.07.2024
निर्णय दिनांकः– 18.11.24

उनवान

1. गजेन्द्र पुत्र केसरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सिंघवी गार्डन के सामने छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र हीरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी 4 (ग) 15 तलवंडी कोटा
2. सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल जाति ब्राहम्ण 4 (ग) 15 तलवंडी कोटा
3. कौशल्या बाई पुत्री धुलीलाल C/O ओमप्रकाश राजोरिया जाति ब्राहम्ण निवासी 1 जी 46 नवोदय विद्यालय के पास महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज0
4. मधु पत्नि राकेश शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मांगीलाल बीडी कारखाने के सामने पुलिस चौकी के सामने पाटन पोल कोटा
5. मणी बाई धुलीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बृजमोहन जी रिटायर्ड कानूनगों ग्राम लियाडिया जिला बारां (राज0)
6. मोनिका पत्नि दिनेश शर्मा पुत्री भैरूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कर्मा जी की बावडी के पास श्रीजी धाम कॉलोनी मांगरोंल रोड बारां जिला बारां (राज0)
7. राकेश कुमारी पत्नि भूवनेश कान्त दाउजी के मन्दिर के पास सकतपुरा कोटा जिला कोटा (राज0)
8. महेन्द्र पुत्र भैरूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 2021 तलवंडी कोटा
9. राजेन्द्र पत्नि चन्द्रप्रकाश शर्मा निवासी काला गौरा जी मन्दिर के पास गंगा जी कोटी सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोरपुर (राज0)
10. हरिबल्लभ पुत्र रामगोपाल
11. देवकीनन्दन पुत्र रामगोपाल
12. कान्ती पुत्री रामगोपाल
13. केदारबाई बेवा रामगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
14. रामनारायण पुत्र नाथू
15. प्रभूदयाल पुत्र नाथू जाति धाकड निवासी ग्राम भीलवाडा नीचां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
16. ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल
17. भगवानलाल पुत्र रामगोपाल
18. बालकिशन पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम भुआखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
19. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः- 18-11-24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 1 ता 18 के संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 330 खसरा नम्बर 28 रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा, वाके माल भीलवाडा नीचा में स्थित है। प्रार्थी की आराजी संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने के कारण आये दिन प्रार्थी एंव अप्रार्थी के मध्य सीमाओं को लेकर एवं करते की लेकर वाद विवाद होते रहते है प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थीगण को विचम निवेदन भी किया कि आप एव मेरे बीच उक्त संयुक्त खाते की आराजी को लेकर आये दिन वाद विवाद होते रहते है क्यो नही सहमति से बटवारा करा ले किन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की बातो को कोई तव्वजों नही दी एंव गम्भीरता से नहीं लिया। एंव बटवारां करने से सांफ करने कर दिया। राजस्व र्मचारियो ने कागजराज मे गलत रूप से इन्द्राज कर दिया है वह निरस्त होने योग्य एंव नकल जमाबन्दी में अप्रार्थी कम – 1 सत्यनारायण पुत्र हीरालाल को सत्यनारायण पुत्र धूलीलाल दर्ज कर दिया है जो भी दुरस्त होने योग्य है। क्योकि सत्यनारायण के जाइनदा पिता धूलीलाल है किन्तु सत्यनारायण बाल्य अवस्था में ही हिरालाल के यहां गोद चला गया था। इस कारण से उसके समस्त अधिकार हीरालाल की सम्पत्ति मे ही निहित है उसकी वल्दियत भी हीरालाल के नाम से जानी जाती है और कागजात राज मे भी सत्यनारायण पुत्र हीरालाल ही दर्ज है यह कि इस तरह चन्द्रा उर्फ कान्ती पुत्री धुलीलाल दर्ज कर दिया है जो भी गलत है एव दुरस्त किये जाने योग्य है क्योकि चन्द्रा उर्फ कान्ती धूलीलाल की पुत्री नहीं होकर हीरालाल की पुत्री है राजस्व कर्मचारियो की गलती से यह गलत इन्द्राज हो गया है जो दुरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री मनीष मालव एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074—77 खाता संख्या 307 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 330 खसरा नम्बर 28 रकबा 48.17 बीघा भीलवाडा नीचा में स्थित है विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की होने के कारण प्रार्थी अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी का बटवारा कराना चाहतें है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी क्रम 1 सत्यनारसयण पुत्र हीरालाल को सत्यनारायण पुत्र धुलीलाल दर्ज कर दिया है क्योकि सत्यनारायण के जायन्दा पिता धुलीलाल है परन्तु सत्यनारायण बाल्या अवस्था में ही हीरालाल के गोद चला गया था। इसलिए उसके समस्त अधिकार हीरालाल की सम्पत्ति में ही निहित है उनकी वल्दियत भी हीरालाल के नाम से जानी जाती है इसी प्रकार से चन्दा उर्फ कान्ती पुत्री नही होकर हीरालाल की पुत्री है राजस्व रिकार्ड में की गई गलती को दुरूस्त किये जाने योग्य है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा त्र 53 आर0टी0एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 का प्रस्तुत किया है प्रार्थी किस र्ड में नाम दुरूस्त करवा रहे है और किस भूमि का बटवारा करा रहे है प्रार्थी द्वारा पने प्रार्थना पत्र में खाता संख्या 330 के खसरा नम्बर 28 रकबा 48 बीघा 17 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 8 के संयुक्त खातेदारी में होना बताया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 330 के खसरा नम्बर 28 रकबा 48.17 बीघा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है विवादित आराजी का बटवारा नही हुआ है समस्त सहखातेदारान का इंच इंच भूमि पर हक अधिकार होता है अप्रार्थीगण बिना बटवारा कराये भूमि को बेचान करने पर आमादा होना बताया है प्रार्थी द्वारा मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड की यथा स्थिति चाही गई है जिससे नया विवाद पैदा ना हो मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण का ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 28 रकबा 48.17 बीघा पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा